

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FX 294856

शपथ-पत्र

हम श्रीमती शशी देवी एवं श्री शैलेन्द्र सिंह कमशः अध्यक्ष व सचिव श्री कृष्ण महाराज जी शिक्षण संस्कृति समिति ग्राम एवं पोस्ट नहल तहसील अतरौली जनपद अलीगढ़ शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

यह हमारी सोसाइटी श्री कृष्ण महाराज जी शिक्षण संस्कृति समिति द्वारा जय गिरिराज धरण महाविद्यालय, नहल अलीगढ़, नामक डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थान की स्थापन सत्र 2023-23 से किया जाना प्रस्तावित है।

यह कि हमारी सोसाइटी/संस्थान के नाम ग्राम एवं पोस्ट नहल में गाटा संख्या 855 मि0, 814, 840, 842 अ, 842 ब, 42 एव 46 रकबा कमशः 1.56, 0.384, 0.160 0.3473 एवं 0.9713 कुल रकबा 2.6513 हे0 (26513 वर्ग मी.)

- यह कि, उपरोक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
- यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी/संस्थान के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 855 मि0 में कुल रकबा 1.56 हे0 में से 10000 वर्ग मी0 पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक 04 अप्रैल 2022 द्वारा पारित किया गया है।
- यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मैसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
- यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/संस्थान के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों को अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मैसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

Solemnly Affirmed before me
Affidevit by...
Identified by...
and who have been heard the
contents here and have admitted
the same to correct.

Ashok Kumar Upadhyay (Advocate)
NOTARY
ALIGARH (U.P.)

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान हेतु आवश्यक क्लास रूम प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार की सुरक्षित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/संस्थान द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भली भाँति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिहित द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटचिंत अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा।
इश्वर मेरी मदद करें।



सिंह
(शैलेंद्र सिंह)

सचिव

श्री कृष्ण महाराज जी शिक्षण एवं संस्कृत समिति
नहल (अलीगढ़)

Shashi Singh

(शशी सिंह)

अध्यक्ष

अध्यक्ष

श्री कृष्ण महाराज जी शिक्षण संस्कृति समिति
नहल अतरौनी (अलीगढ़)

Solemnly Affirmed before me
Affidevit by Ashok Kumar Upadhyay
Identified by 1-5-23
and who have been heard the
contents here and have admitted
the same to correct.

Ashok Kumar Upadhyay (Advocate)
NOTARY
ALIGARH (U.P.)

1-5-23